बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-स०क०निग०-185/2019- 3750 14.7.2026

-:: आदेश ::-

श्रीमती किसलय शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-2115 दिनांक-06.04.2021 के द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया के पत्रांक-134/लो०शि०नि० दिनांक-26.02.2021, 143/लो०शि०नि० दिनांक-03.03.2021 एवं 148/लो०शि०नि० दिनांक-05.03.2021 से प्राप्त पत्रों के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया के विरूद्ध स्व० सुनीता देवी, पूर्व आंगनबाड़ी सहायिका, केन्द्र सं०-159, रिकाबगंज, टिकारी, गया की मृत्यु दिनांक-24.10.2016, स्व० कान्ति देवी, पति- अजय कुमार पासवान, पूर्व सेविका की मृत्यु दिनांक-23.09.2018 एवं स्व० सावित्री देवी, पूर्व आंगनबाड़ी सहायिका पति- श्यामलाल चौधरी, कोड सं०-62 की मृत्यु दिनांक-02.12.2018 को होने के लगभग 2.5 वर्ष के उपरांत भी अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं करने, इस संबंध में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करने, आयुक्त न्यायालय, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा वाद सं०-223/2019 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। साथ हीं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्र में षडयंत्र एवं जालसाजी कर जमीन बिक्री के लिए गलत एकरारनामा बनाकर पैंतालिस लाख रूपये हड़पने के मामले में इनके विरूद्ध भगवानगंज थाना कोड सं०-71/19 दर्ज होने एवं अनुसंधानरत होने की स्थिति है। प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-2229 दिनांक-06.06.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक-1071 दिनांक-19.06.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-3880 दिनांक-16.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

श्रीमती शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, जॉच पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन में दिया गया निष्कर्ष एवं प्रमाणित तथा आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत श्रीमती शर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1108 दिनांक-24.02.2026 द्वारा 03 (तीन) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई थी।

उक्त अधिरोपित शास्ति को निरस्त किये जाने हेतु श्रीमती शर्मा के पत्रांक-266 दिनांक-01.04.2026 द्वारा पुनर्विचार याचिका विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके समीक्षोपरांत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह पाया गया कि इनके द्वारा मृत सेविका/सहायिका के आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान के भुगतान में अनावश्यक विलंब किया गया, जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही, प्रशासनिक उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है। इसलिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती शर्मा के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-1108 दिनांक-07.04.2026 द्वारा अधिरोपित शास्ति पर श्रीमती किसलय शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया सम्प्रति शिवहर से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

14/07/26

(मार्गण सिन्हा)
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-185/2019- 3750 पटना-15 दिनांक :- 14.7.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /मगध/तिरहुत/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, गया/शिवहर / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया/शिवहर / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधानआप्त सचिव / संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती किसलय शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया सम्प्रति शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/07/26

उप सचिव
समाज कल्याण विभाग।